



**इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद****विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :**

डा0 यू0एस0 सिन्हा एवं डा0 रमा सिंह द्वारा प्लॉट नं0-1, 2 एवं 11, 12, बंगला नं0-25 एडमास्टन रोड, फ्री होल्ड साईट नं0-M सिविल स्टेशन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (क्षेत्रफल 668.88 वर्गमीटर) पर निर्मित व्यवसायिक भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री ए0के0 पाठक, अधिशासी अभियन्ता श्री आर0डी0 राय तथा मुख्य नगर नियोजक श्री पी0के0 सौलंकी द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अद्यतन शमन मानचित्र परमिट संख्या-102/शमन/जोन-1/व्यव0/2014-15 दिनांक 11.03.2015 के अनुरूप सही पाया गया है। सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ0प्र0 शासन, अल्लापुर, इलाहाबाद, अधिशासी अभियन्ता-भूगर्भ जल विभाग खण्ड-यांत्रिक (सिचार्ज विभाग) इलाहाबाद, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 27.03.2015 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के अर्न्तगत पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति पत्र सं0-2015/7893/ald/Allahabad/87/CFO दिनांक 20.03.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. अधि0अभि0, भू0ज0वि0खं0-यॉ0  
प0सं0-919/भू0ज0वि0खं0-यॉ0  
दिनांक 23.03.2015  
हस्ताक्षर  20/03/2015
2. C.F.O, इलाहाबाद की अनापत्ति  
प0सं0-2015/7893/ald/Allahabad/87/CFO प्र0अ0(त0स0-2)  
दिनांक 20.03.2015  
पदनाम : जोनल अधिकारी/
3. सहायक निदेशक वि.सु.उ0प्र0 शासन,  
प0सं0-1820(1)/स0नि0वि0सु0/ई0री0/2014-15  
दिनांक 26.03.2015  
कार्यालय की मुहर  प्रभारी अधिकारी तकनीकी समिति  
दिनांक : 30 मार्च, 2015
4. आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इन्जी0 का प्रमाण-पत्र।

पत्रांक :- 09/प्र0अ0(त0स0-2)/C.C/2014-15

दिनांक : 30/03/2015

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 102/जोन-1/शमन/व्यव0/2014-15 दिनांक 11/03/2015

### विनियमितीकरण—पत्र (Revise)

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत दी जा रही है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक/आवासीय निर्माण विनियमित किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मितिकयत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

डा0 यू0एस0 सिन्हा पुत्र स्व0 बी0एम0 सिंह, डा0 रमा सिंह पत्नी डा0 यू0एस0 सिन्हा द्वारा बंगला नं0-25 एडमास्टन रोड, नजूल फ्री होल्ड प्लॉट नं0-M सिविल स्टेशन, भूखण्ड संख्या-1, 2, 11, 12 इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, जिसमें बेसमेन्ट में पार्किंग, भूतल पर पार्किंग सहित व्यवसायिक हॉल, प्रथम तल व्यवसायिक, द्वितीय तल पर आवासीय तथा तृतीय तल पर सहायक संरचनायें (A.C Room & Machine Room) का उपयोग ही नियमानुसार अनुमत्य होगा।
- स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

शिवशंकर तिवारी

12-3-2015

क्र. 9936733586

(पुष्कर श्रीवास्तव)

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)

11/03/2015

OWNER OR HIS SINGLE MANAGER  
 TO BE APPROVED BY THE  
 ARCHITECT AND ENGINEER  
 BEFORE ANY CONSTRUCTION  
 BEGINS.

CONSTRUCTION OF THIS PLAN IS  
 SUBJECT TO THE APPROVAL OF  
 THE CITY ENGINEER AND THE  
 COUNTY ENGINEER AND THE  
 STATE ENGINEER.

CONSTRUCTION OF THIS PLAN IS  
 SUBJECT TO THE APPROVAL OF  
 THE CITY ENGINEER AND THE  
 COUNTY ENGINEER AND THE  
 STATE ENGINEER.



SCALE 1/200

1. FOUNDATION	CONCRETE
2. FLOOR	CONCRETE
3. WALL	CONCRETE
4. ROOF	CONCRETE
5. CEILING	CONCRETE
6. PARTITION	CONCRETE
7. DOOR	STEEL
8. WINDOW	ALUMINUM
9. STAIR	CONCRETE
10. ELEVATOR	CONCRETE
11. MECHANICAL	STEEL
12. ELECTRICAL	STEEL
13. PIPING	STEEL
14. PLUMBING	STEEL
15. HEATING	STEEL
16. COOLING	STEEL
17. VENTILATION	STEEL
18. INSULATION	GLASS WOOL
19. PAINT	EMULSION
20. FINISH	CONCRETE

COMPOUNDING AREA

1. FOUNDATION	CONCRETE
2. FLOOR	CONCRETE
3. WALL	CONCRETE
4. ROOF	CONCRETE
5. CEILING	CONCRETE
6. PARTITION	CONCRETE
7. DOOR	STEEL
8. WINDOW	ALUMINUM
9. STAIR	CONCRETE
10. ELEVATOR	CONCRETE
11. MECHANICAL	STEEL
12. ELECTRICAL	STEEL
13. PIPING	STEEL
14. PLUMBING	STEEL
15. HEATING	STEEL
16. COOLING	STEEL
17. VENTILATION	STEEL
18. INSULATION	GLASS WOOL
19. PAINT	EMULSION
20. FINISH	CONCRETE

THIS IS TO CERTIFY THAT THIS  
 MAP IS ACCORDING TO BUILDING  
 AND ZONING ORDINANCES AND  
 THE CITY ENGINEER AND THE  
 COUNTY ENGINEER AND THE  
 STATE ENGINEER.



OWNER OR HIS SINGLE MANAGER  
 TO BE APPROVED BY THE  
 ARCHITECT AND ENGINEER  
 BEFORE ANY CONSTRUCTION  
 BEGINS.

CONSTRUCTION OF THIS PLAN IS  
 SUBJECT TO THE APPROVAL OF  
 THE CITY ENGINEER AND THE  
 COUNTY ENGINEER AND THE  
 STATE ENGINEER.

CONSTRUCTION OF THIS PLAN IS  
 SUBJECT TO THE APPROVAL OF  
 THE CITY ENGINEER AND THE  
 COUNTY ENGINEER AND THE  
 STATE ENGINEER.